न्यायालय : श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म0प्र0)

श्री रजनीकान्त शर्मा एड0 (20)
द्वारा आज दि. 6/12/16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

नि0प्र0 4152-I

लम्पू तनय भग्गू साहू
निवासी देरी, तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़, म0प्र0

-- निगरानीकर्ता

॥ विरूद्ध ॥

हिरिया पत्नी श्री मूलचन्द्र अहिरवार
निवासी देरी, तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़, म0प्र0

-- उत्तरवादी

आवेदन पत्र/निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959

R.V. 6/12/16

निगरानीकर्ता/आवेदक, यह निगरानी न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा राजस्व प्रकरण क्रं0 58/बी-121/15-16 में पारित आदेश दिनांक 09/06/2016 के विरूद्ध प्रस्तुत कर रहा है ।

-: प्रकरण का सारांश :-

01) यह कि, ग्राम देरी, तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़, म0प्र0 में स्थित भूमि खसरा नंबर 237/6 रकवा 1.400 हे0 भूमि पर निगरानीकर्ता का हक्क एवं कब्जा है एवं यह भूमि निगरानीकर्ता की मालकियत की है । जो निगरानीकर्ता को आदेश दिनांक 03/10/1996 को प्राप्त हुयी थी । उपरोक्त भूमि खसरा बी-1 में निगरानीकर्ता के नाम राजस्व रिकार्डों में दर्ज है । निगरानीकर्ता ने श्रीमान तहसीलदार महोदय खरगापुर के आदेश दिनांक 20/08/2015 के अनुसार उपरोक्त भूमि का सीमांकन कराया था ।

02) यह कि, उत्तरवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के यहां इस बावत आवेदन दिया कि भूमि खसरा नंबर 237/2 की तरमीम पूर्व में जिस जगह पर थी उस स्थान पर भूमि खसरा नं. 237/6 कर दिया गया है एवं भूमि खसरा नंबर 237/2 को किसी अन्य जगह कर दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने उत्तरवादी का आवेदन स्वीकार कर अपना आलोच्य आदेश दिनांक 09/06/2016 पारित किया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की जा रही है ।

R 4152-I/16 रीवा म०प्र०

1-9-17

आवेदक अधि. श्रीमती रश्मि वाधवा शर्मा द्वारा प्रस्तुत करके उपरोक्त आवेदन एवं प्रकरण को नोटशीट में समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया। अना० अधि. श्री पी० के तिवारी उप०। आवेदक अधि. के निवेदन पर प्रकरण नोट प्रेस में समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

अध्यक्ष

नोटशीट R.V. 1/9/1

(2)